राजस्थान सरकार

प्रारूप 'ख'

(देखिये नियम 9(3),(4) और (6)

कार्यालय विहित प्राधिकारी जिला कलक्टर दौसा– 303303

क्रमांक आर18बी(भू0रू0)(9)2013/ 3945 दिनांक: 27.5.2013

–:: संपरिवर्तन आदेश ::–

आवेदक शिक्षा संचालन एवं शिक्षा प्रसार समिति दौसा जरिये मंत्री श्री राजकुमार पुत्र श्री बनवारी लाल जाति ब्राह्मण निवासी 58 वासुदेव नगर दौसा जिला दौसा के आवेदन अनुसार ग्राम हिंगोटिया तहसील दौसा में स्थित उनकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू–राजस्व(ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9(जी) के अधीन संस्थानिक (institutional purpose)प्रयोजन के लिए इनके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियाँ नीचे दी गई है।

(1) आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता/पत्नि के नाम सहित पूरा पता	शिक्षा संचालन एवं शिक्षा प्रसार समिति दौसा जरिये मंत्री श्री राजकुमार पुत्र श्री बनवारी लाल जाति ब्राह्मण निवासी 58 वासुदेव नगर दौसा जिला दौसा।
(2) क्या आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य है।	नहीं
(3) संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा :–	
(क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम	ग्राम हिंगोटिया , ग्राम पंचायत हिंगोटिया, तहसील दौसा
(ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल(वर्गमीटर में)	ख0नं0 398 रकबा 0.54 है0 = 5400 वर्गमीटर
(ग) प्रत्येक खसरा संख्या की क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	ख0नं0 398 रकबा 0.54 है0 में से 0.50 है0 = 5000 वर्गमीटर
टिप्पणी:– कृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित भूमि को लाल रंग से दर्शाते हुए राजस्व नक्शें में सुसंगत सम्यक रूप से सत्यापित – प्रति संलग्न है।	
(4) संपरिवर्तन का प्रयोजन	संस्थानिक (institutional purpose)प्रयोजनार्थ
(5) संदेय प्रीमियम की दर	डीएलसी दर का 10 प्रतिशत अर्थात 39/–रूपये प्रति वर्गमीटर से रूपान्तरण शुल्क की राशि 195000/– (एक लाख पिच्यानवें हजार रूपये)
(6) चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम (बैंक में जमा राशि की दिनांक)	(1) मद 0029 भू–राजस्व चालान सं0 दिनांक राशि रूपये 50 27.5.2013 195000–00 (2) मद पी0डी0ए0 में : चालान सं0 दिनांक राशि रूपये – – –
(7) चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम (बैंक में जमा राशि की दिनांक)	(1) मद 0029 भू–राजस्व चालान सं0 दिनांक राशि रूपये – – –
(8) चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज (यदि कोई हो) की जमा कराई गई रकम (बैंक में जमा कराई गई रकम(बैंक में जमा राशि दिनांक)	(1) मद 0029 भू–राजस्व चालान सं0 दिनांक राशि रूपये – – –
(9) क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम–13 के अधीन जारी किया गया :–	नहीं

जारी

10 अन्य प्रविष्टियॉं यदि कोई हो :-

1. रूपांतरित की गई भूमि एन.एच. 11ए से 2 कि.मी. तथा ग्रामीण सड़क से 50 मीटर दूर स्थित है। आवेदक को संपरिवर्तित भूमि तक नियमानुसार पहुंच मार्ग सुनिश्चित करना होगा तथा इण्डियन रोड कांग्रेस के नियमों की पालना करनी होगी।
2. आवेदक द्वारा रूपान्तरित की गई भूमि में से 40 प्रतिशत क्षेत्र बच्चों की खेल कूद की व्यवस्था एवं पार्क, वाहन पार्किंग आदि के लिये खुला छोड़ना होगा।
3. आवेदक को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़क से रास्ता हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
4. राज्य सरकार द्वारा कोई शुल्क अगर निर्धारित किया जावेगा अथवा संपरिवर्तन की जाने वाली भूमि के रूपान्तरण शुल्क की राशि के निर्धारण एवं गणना में कोई अन्तर राशि होगी तो प्रार्थी जमा कराने के लिए सदैव बाध्य रहेगा।
5. राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(6)राज–6/92पार्ट/23 दिनांक 17.7.2007 की पालना करनी होगी।
6. राजस्व विभाग द्वारा समय–समय पर दिशा निर्देश जारी किये गये है, उनकी पालना की जावेगी।

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन होगा :-

1. उपर्युक्त अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।
2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत करली जावेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपहृत हो जायेगा।
3. नियम–4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अन्य अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।
4. संस्थानिक (institutional purpose) प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग को अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जावेगा।
5. आवेदक द्वारा संपरिवर्तित भूमि का विक्रय तभी किया जा सकेगा जब बैंक राशि जमा होने के बाद भूमि रहन से मुक्त हो जावे।
6. उपरोक्त शर्तो में से किसी शर्त का उल्लंघन करने पर संपरिवर्तन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।

जिला कलक्टर, दौसा
(विहित प्राधिकृत अधिकारी)

क्रमांकः/प.18बी(भू०रू०)(9)2013/ 3946-3955 दिनांकः 27.5.2013

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग जयपुर।
2. उपखण्ड अधिकारी दौसा।
3. प्रभारी अधिकारी, राजस्व लेखा शाखा, कलेक्ट्रेट दौसा।
4. तहसीलदार दौसा को उनके पत्र क्रमांकः टीआरए/103 दिनांक 27.5.2013 के संदर्भ में मय नक्शा ट्रेस के रिकार्ड में अमलदरामद हेतु।
5. अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत दौसा जिला दौसा।
6. सरपंच, ग्राम पंचायत हिंगोटिया, पंचायत समिति दौसा।
7. पटवारी हल्का हिंगोटिया तहसील दौसा।
8. शाखा प्रबन्धक, दौसा केन्द्रीय सहकारी बैंक लि० शाखा दौसा जिला दौसा।
9. आवेदक शिक्षा संचालन एवं शिक्षा प्रसार समिति दौसा जरिये मंत्री श्री राजकुमार पुत्र श्री बनवारी लाल जाति ब्राह्मण निवासी 58 वासुदेव नगर दौसा जिला दौसा।
10. गार्ड फाईल।

जिला कलक्टर
दौसा

ग्राम - हिंगोटिया

तह. - दौसा

398

पटवारी

तहसीलदार (भू0अ0) दौसा।

कार्यालय जिला कलक्टर, दौसा

इस कार्यालय के पत्र क्रमांकः आर18बी(भू0रू0)(9)2013/3945–3955 दिनांक 27.5.2013. के द्वारा ग्राम हिंगोटिया तहसील दौसा स्थित निजी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 398 रकबा 0.54 है0 में से 0.50 है0 = 5000 वर्गमीटर भूमि को राज0 भू–राजस्व(ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम 2007 के अन्तर्गत संस्थानिक (institutional purpose) प्रयोजनार्थ आवेदक शिक्षा संचालन एवं शिक्षा प्रसार समिति दौसा जरिये मंत्री श्री राजकुमार पुत्र श्री बनवारी लाल जाति ब्राह्मण निवासी 58 वासुदेव नगर दौसा जिला दौसा के पक्ष में रूपान्तरण किया गया।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

राजस्थान RAJASTHAN 726929

23 OCT 2006

श्रीरामजी

<u>विक्रय पत्र जैर मद 23 स्टाम्प कानून राजस्थान</u>

मै घासी उम्र 60 वर्ष पुत्र पन्नालाल जाति नाई निवासी बनियाना तहसील दौसा जिला दौसा राजस्थान का प्रणकर्ता विक्रेता प्रथम पक्ष हूं।

प्रथम पक्ष विक्रेता

बहक

शिक्षा संचालन एंव चिकित्सा प्रसार समिति दौसा जरिये मंत्री राजकुमार शर्मा पुत्र बनवारीलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी --68 वासुदेव नगर दौसा तहसील दौसा जिला दौसा राजस्थान

द्वितीय पक्ष क्रेता

उप पंजीयक लवाण

जो कि वाके ग्राम ढिगोरिया तहसील दौसा जिला दौसा की राजस्व सीमा मे कृषि भूमि खसरा नम्बर 398 रकबा 0.64 है0 चाही व जाव स्थित है जिसकी खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे मुझ विक्रेता के नाम से दर्ज चली आ रही है और उक्त कृषि भूमि पर आज रोज मुझ विक्रेता का कब्जा का कब्जा काश्त चला आ रहा है कब्जा काश्त व खातेदारी होने के कारण उक्त कृषि भूमि को रहन रखने विक्रय करने व ट्रांसफर करने के सम्पूर्ण अधिकार मुझ विक्रेता को प्राप्त है । उक्त कृषि भूमि को आज से पूर्व मुझ विक्रेता ने किसी अन्य को रहन विक्रय व ट्रासफर नही की है।

उक्त विक्रय की जा रही कृषि भूमि के मूल्यांकन व तथ्य विक्रेता के बताये अनुसार निम्न प्रकार है :-

घासीलाल सेन

[illegible] १४५६०

०८-११-०६

१०००/२०४००/२ = ३०००) [illegible]

[illegible] पन्नालाल [illegible]

[illegible]

उप निबंधक

आज दिनांक 10 माह 11 सन 2006 [illegible]

[illegible]

उप निबंधक, लखनऊ

[illegible]

रसीद संख्या 24/12 दिनांक 10.11.2006

[illegible] 1144-00

प्रतिलिपि 480

[illegible] 200-00

अन्य शुल्क [illegible]

योग 1280-00

उप निबंधक, लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN 726930

OCT 2006

उक्त विक्रय की जा रही कृषि भूमि सड़क से करीब 1/2 कि.मी. दूर आबादी से करीब 1 कि.मी. की दूरी पर दौसा से करीब 13 कि0मी0 की दूरी स्थित है किस्म निर्धारण हेतु नकल जमाबन्दी की प्रति विक्रय पत्र के साथ संलग्न है ।

चूंकि मुझ विक्रेता को रूपयो की घरू आवश्यकता होने के कारण मुझ विक्रेता ने उक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 398 रकबा 0.54 है0 सम्पूर्ण वाके ग्राम हिंगोटिया तहसील दौसा को मय मुल बोल डोल पाल पाला पूनी वृक्ष लता पता के मौल माला कलाम गुबलिग 1,90,000/–रूपये अक्षरे एक लाख नब्बे हजार रूपये में क्रेता द्वितीय पक्ष शिक्षा संचालन एंव चिकित्सा प्रसार समिति दौसा जरिये मंत्री राजकुमार शर्मा पुत्र बनवारीलाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी –58 वासुदेव नगर दौसा तहसील दौसा जिला दौसा राजस्थान को तत्ताई विक्रय कर विक्रय धन की चूकती रकम 1,90,000/–रूपये अक्षरे एक लाख नब्बे हजार रूपये मुझ विक्रेता ने क्रेता से नकद नेक चलणी के रोकडी प्राप्त कर क्रेता का मौके पर वास्तविक रूप से कब्जा करा दिया है व क्रेता ने मौके पर वास्तविक रूप से कब्जा संभाल लिया है।

उक्त विक्रय की जा रही कृषि भूमि पर आज रोज कोई सरकारी व गैर सरकारी ऋण व टैक्स बकाया नहीं है सभी प्रकार से पाक व साफ है तथा सभी झगडे व टण्टो से मुक्त है।

3

विक्रय रजि-२ का क्रमांक ९६४०६

विक्रय की तिथि ०२-११-०६

विक्रय किये गये [illegible] की [illegible] १०००/२ + ५००/२ = २०००

मुद्रांक [illegible] धर्मी डी. पन्नालाल शर्मा नि. ११ [illegible] दौसा

बाबत रि. ५०

स्टाम्प विक्रेता

लल्लूप्रसाद गुप्ता दौसा

निष्पादनकर्ता श्री धर्मी पुत्र श्री पन्नालाल नाई [illegible] निष्पादक बाबत [illegible] बन्धीनामा [illegible] १,५०,०००/- [illegible] तथा निष्पादनकर्ता [illegible] जमरसिंह राजकीनपुर [illegible] उप पंजीयक, लवाण

क्रेता: शिक्षा [illegible] [illegible] चिकित्सा [illegible] [illegible] जरिये [illegible] राजकुमार [illegible] [illegible] [illegible]

धर्मीलाल सैन

ला. धर्मी

R. Sharma

ला. राजकुमार

राम स्वरूप [illegible]

रामसिंह

ला. [illegible]

ला. रामसिंह

निष्पादनकर्ता [illegible] के अंगूठा [illegible] लिये

उप पंजीयक, लवाण

500Rs

29 SEP 2006

उक्त विक्रय की जा रही कृषि भूमि पर आज के बाद केता काबिज रहकर स्वयं काश्त करे किसी दीगर से काश्त करावे कृषि भूमि को उपजाऊ बनावे गल्ला हर किस्म से फायदा उठावे उक्त भूमि मे चाह का निर्माण करावे एंव अपने किसी भी तरह से उपयोग व उपभोग में लेवे एंव किसी अन्य को रहन विक्रय व ट्रासफर करे तो मुझ विकेता को किसी प्रकार की कोई आपत्ति व उज्र नहीं होगा।

उक्त विक्रय कि जा रही कृषि भूमि का बाद तस्दीक विक्रय पत्र केता अपने नाम नामान्तरण खुलवाये खातेदारी अपने नाम करावे पर्चा रसीद हासिल करे गश्त गिरदावरी अपने नाम करावे रेवेन्यू रिकार्ड सरकारी रिकार्ड मे अपना दर्ज करावे तो मुझ विकेता को कोई आपत्ति व उज्र नहीं होगा।

उक्त विक्रय की जा रही कृषि भूमि से आज के बाद मुझ विकेता का व मेरे वारिसान मौजूदा आईन्दा कानूनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति व उज्र करने का हक नहीं होगा व आज के बाद सम्पूर्ण अधिकार खातेदारी काश्तकारी ट्रासफरी मुझ विकेता के समान केता को प्राप्त होगे।

उक्त विक्रय की जा रही कृषि भूमि स्वामित्व की त्रुटि के कारण या किसी के उज्र करने के कारण या किसी प्रकार की देग बकाया निकलने के कारण केता के कब्जे से निकल जावे तो केता को विक्रय धन की चूकती रकम मय हर्जा खर्चा मय कानूनी ब्याज के मुझ विकेता की चल व अचल सम्पत्ति से वसूल करने का पूर्ण हक होगा।

....4

विक्रय रजिस्टर का क्रमांक 15370

विक्रय की तिथि 29.9.06

विक्रय किये गये मुद्रांक का मूल्य 1000/2 + 500/2 = 3000, बीस हजार लिये गये

मुद्रांक क्रेता का नाम व पता धारी [illegible] पन्नालाल [illegible] आबादी

वास्ते विक्रय

स्टाम्प विक्रेता
लक्ष्मीप्रसाद गुप्ता लौसा

29 SEP 2006

आज दिनांक 10.11.06 पुस्तक संख्या 1
जिल्द संख्या 27 पृष्ठ क्रमांक 298
दर्ज किया पुस्तक संख्या 1 व
जिल्द संख्या 27 पृष्ठ संख्या 95-98
पर चस्पा किया गया

उप पंजीयक, लालसोट

500Rs.

उक्त विकय की जा रही कृषि भूमि पर आज से पूर्व का कोई विवाद होगा तो उसे निपटाने की जिम्मेदारी मुझ विकेता की होगी

उक्त विकय पत्र में मुझ विकेता के बताये अनुसार ही सम्पूर्ण तथ्य अंकित किये गये है जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी व जिम्मेदारी मुझ विकेता की होगी। उक्त विकय पत्र का अवलोकन व मूल्याकन सब रजिस्ट्रार स्वयं साहब फरमावे।

अतः यह विकय पत्र मुझ विकेता ने अपने पूर्ण होश हवास में बिना किसी नशे पते व बिना किसी आग्रह व दवाब के स्टाम्प कीमती 3000/–रूपये कि किता चार पर टाईप कराकर पढकर पढाकर सुनकर समझकर सही होना स्वीकार कर अपने हस्ताक्षर कर दिये तथा गवाहान के समक्ष हस्ताक्षर कर दिये कि जो सनद रहे वक्त जरूरत काम आवे

दिनांक 8.11.2006

ह.साक्षीगण

1

ह. विकेता

2

ह. केता

विक्रय रजिस्टर का क्रमांक १५४०६
विक्रय की तिथि ०८-११-०६
विक्रय ...... १००/- १५०/- x ३०००/
मुद्रांक ......
वाले ...... कि.पत्र ...... कालीन चौधरी कि. ...... दौसा

स्टाम्प विक्रेता
...... पुष्पा दौसा

(3) 27874

नम्बर रसीद संख्या 36/12

(यह प्रति लेख्य-पत्र पेश करने वाले आवेदन पत्र पेश करने वाले अपने पास रखने देंगे)

(प्राप्त हुई फीस के लिए रसीद)

1. पेश करने वाले या आवेदन-पत्र देने वाले का नाम ......
2. लेख्य-पत्र की किस्म ......
3. विवरण फीस जो प्राप्त हुई ...... 190.000 ..
4. प्रतिफल की रकम .. 1,94,400 .. रुपये पैसे

क. फीस रजिस्ट्री :

(1) साधारण फीस रजिस्ट्री	1944-00
(2) लेख्य-पत्र की पुस्तक में प्रतिलिपि करने की फीस ..	9636-00
(3) धारा 64 से 67 के अनुसार ज्ञापन जारी करने की फीस ..	200-00
ख. धारा 57 के अनुसार प्रार्थियों के प्रविष्ट लेखों की प्रतिलिपि देने की फीस	500-00

ग. विविध फीस :

(1) साधारण अथवा विशेष अधिकार-पत्र प्रमाणीकरण फीस ..
(2) धारा 62 के अनुसार अनुवाद प्रस्तुत करने की फीस
(3) धारा 25 से 34 के अनुसार देर से लेख्य-पत्र प्रस्तुत होने अथवा सम्पादनकर्ता इत्यादि के उपस्थित होने के कारण चुकाई हुई फीस .. ..
(4) कमीशन तथा घर पर जाने की फीस तथा भत्ता ..
(5) रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री करने पर अतिरिक्त फीस ..
(6) संरक्षण फीस .. .. ..
(7) मोहरबन्द लिफाफे (जिसमें वसीयत पत्र रखा हो) अमानत रखने, वापिस लेने अथवा खोलने की फीस ..
(8) पुस्तक के निरीक्षण अथवा तलाशी की फीस ..
(9) अन्य विविध प्रकार की आय (जिसमें रद्दी पदार्थों की बिक्री इत्यादि की आय सम्मिलित है)

योग फीस 12280-00

फीस के प्राप्त होने की तारीख 10.11.2006

लेख्य-पत्र या प्रतिलिपि तलाश सर्टिफिकेट पाने के हस्ताक्षर और लौटाने जाने या पाने की तारीख ..

उप पंजीयक लवाण
रजिस्ट्री करने वाले अफसर के हस्ताक्षर